मध्यप्रदेश स्वैच्छिक संगठनों हेतु राज्य की नीति

1. भूमिका :

मध्यप्रदेश शासन राज्य के बहुमुखी विकास के लिये स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। इस नीति के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों को प्रदेश के विकास में सम्मान पूर्वक भूमिका निभाने हेतु उपयुक्त वातावरण (Enabling Environment) निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस नीति में स्वैच्छिक संगठन (Voluntary Organization) से अभिप्रेत है, ऐसे संगठन जो नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, अध्यात्मिक, लोकोपकारी अथवा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विचारों के आधार पर सार्वजनिक सेवा में लगे हुए हैं। इनमें औपचारिक और अनौपचारिक समूह जैसे कि समुदाय आधारित संगठन (CBOs), गैर सरकारी विकास संगठन (NGDOs), धर्मार्थ संगठन, सहायता संगठन, ऐसे संगठन जो नेटवर्क हैं अथवा ऐसे समूहों के संघ और व्यवसायिक सदस्यता वाले एसोसिएशन, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत चेरीटेबल उद्देश्य से गठित कंपनियाँ, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 के अंतर्गत पंजीकृत ट्रस्ट तथा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 तथा म.प्र. फर्म्स एवं संस्थायें पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थायें इत्यादि शामिल हैं। नीति के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों की व्यापक रूप से निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए :–

- वे पूर्णतः अशासकीय हैं, अर्थात् सरकार से अलग हैं।
- वे सृजित लाभ को अपने संस्थापकों अथवा निदेशकों को नहीं देते हैं।
- वे स्व–शासी हैं अर्थात् वे सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं।

- वे पंजीकृत संगठन अथवा अनौपचारिक समूह हैं, जिनके लक्ष्य परिभाषित हैं।

2. स्वैच्छिक संगठनों की आवश्यकता :

समावेशी एवं त्वरित विकास में स्वैच्छिक संगठनों की अहम भूमिका निर्धारित करने वाले प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

2.1 स्वैच्छिक संगठनों में व्यवस्थागत् सीमाओं को पार कर कार्य करने की क्षमता होती है अतः वे समुदाय की त्वरित आवश्यकताओं का तत्काल हल निकाल सकते हैं।

2.2 स्वैच्छिक संगठनों का स्वतंत्र अस्तित्व इन्हें लोकहित के मुद्दों को सामने लाने एवं उन पर अभिमत तैयार करने की विशिष्ट क्षमता देता है। इनकी सशक्त उपस्थिति शासन की प्रणालियों में लगातार सुधार की प्रवृत्ति को प्रबल करती है। इन संगठनों में शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने एवं जन सहयोग से क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने की क्षमता है।

2.3 उनकी अच्छी जनस्वीकार्यता के कारण उन्हें बहुत अच्छा जन सहयोग प्राप्त होता है जिसके कारण समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर सकते है।

2.4 फैसले लेने के विभिन्न स्तरों पर स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी फैसलों को पारदर्शी एवं तथ्यपरक बनाती हैं साथ ही इसमें नये आयामों को जोड़ती हैं।

2.5 स्व–प्रेरणा एवं सृजनशीलता स्वैच्छिक संगठनों को ज्यादा प्रयोगधर्मी बनाते हैं। प्रभावकारी नतीजे लाने के लिये वे छोटे स्तर पर नवीन विचार एवं प्रणालियां विकसित करते हैं जिनका उपयोग शासन द्वारा वृहत स्तर पर किया जा सकता है। यह सतत् प्रगति के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

2.6 शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, प्राकृतिक प्रकोप एवं मानवीय संवेदना से जुड़े विषय आदि क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठन सेवा प्रदान करने के वैकल्पिक माध्यम के रूप में अहम भूमिका निभाते हैं।

2.7 समाज के वंचितों एवं मुख्य धारा से कटे वर्गों तक आवश्यक मूलभूत सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में भी स्वैच्छिक संगठन अच्छी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं।

2.8 वे मितव्ययता से कार्य करते है व कम वित्त में अधिक सार्थक परिणाम देने की क्षमता रखते है।

2.9 स्वैच्छिक संगठनों की विकास कार्यक्रमों के स्वतंत्र मूल्यांकन एवं अनुश्रवण में प्रभावी भूमिका है। विकास के अनछुए पहलुओं को उजागर कर उन्हें मुख्य धारा में लाने में स्वैच्छिक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2.10 अतः मध्य प्रदेश को आधुनिक एवं अग्रगामी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिये एक प्रदेश व्यापी, सशक्त, कुशल एवं प्रभावशाली स्वैच्छिक सेवा क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे प्रदेश के सभी नागरिक पूर्ण सृजनशीलता के साथ अपना सहयोग प्रदान कर सकें।

3. उद्देश्य :

3.1. समुदाय में स्वैच्छिकता, सामूहिक सहभागिता की भावना विकसित कर स्वावलम्बन लाने के लिए स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय क्षमता तथा स्थानीय संसाधन के आधार पर स्वयंसेवी संगठनों को खड़ा करना ताकि व्यवस्था पर निर्भरता कम हो सके।

3.2 स्वैच्छिक संगठनों की मूल चेतना व क्षेत्र की आवश्यकता और संभावनाओं के अनुरूप गठन, विकास एवं सशक्तिकरण के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना।

3.3 ऐसी प्रणालियां विकसित करना जिनमें राज्य शासन एवं स्वैच्छिक संगठन आपसी विश्वास तथा सम्मान के सिद्धांतों पर साझे उत्तरदायित्व के साथ काम कर सकें।

3.4 कौशल आधारित रोजगार विस्तार की संभावनाओं को ध्यान में रखकर स्वैच्छिक संगठनों की क्षमता विकसित करना।

3.5 जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ स्वैच्छिक संगठनों के जरिये आम जनता तक पहुँचाना।

3.6 स्वैच्छिक संगठनों के आंतरिक प्रबंधन में पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रणालियों को अपनाने के लिये सहयोग देना।

3.7 समाज के विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक सर्वेक्षण करने के लिए विशेज्ञता एवं प्रणालियाँ विकसित करना।

3.8 सामाजिक अंकेक्षण के लिए व्यवस्था निर्मित कराना।

3.9 स्वैच्छिक संगठनों का पंजीकरण का नियम सरल, आसान एवं एक स्थान पर उनकी सूची उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था निर्मित करना।

3.10 ऐसे पंजीबद्ध स्वैच्छिक संगठनों की क्षेत्रीय, राज्य स्तर, जिला स्तर एवं स्थानीय स्तर की सूची एवं उनसे संबंधित जानकारी योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की स्वैच्छिक संगठन सेल में उपलब्ध कराना।

4. गठन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :

4.1. प्रदेश के समस्त जिलों में स्वैच्छिक संगठनों के ऑनलाइन पंजीकरण, अनुश्रवण व मूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के स्वैच्छिक संगठन सेल (NGO Cell) में की जायेगी।

4.2 प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समेकित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संचालित किया जायेगा, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से संगठनों के ऑनलाईन पंजीकरण हेतु सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी साथ ही वार्षिक प्रतिवेदन भी ऑनलाईन जमा कराने का प्रावधान रखा जायेगा।

4.3 स्वैच्छिक संगठनों से जुड़ी हुई समस्त सूचनाओं एवं संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिये पंजीकरण हेतु तैयार किये गये वैबपोर्टल तैयार कराया जायेगा ताकि विषय–वस्तु में मांग के अनुसार सतत् गतिशीलता बनी रहे।

5. सतत् संवाद :

5.1. विकास कार्यों में नवाचार एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं परस्पर सहयोग हेतु उपलब्ध अवसरों की पहचान करने के लिये राज्य, जिला एवं निचले स्तरों पर प्रत्येक वर्ष स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं शासकीय अधिकारियों के बीच औपचारिक बैठक करने की व्यवस्था की जायेगी।

6. समितियों एवं फोरम्स में प्रतिनिधित्व :

6.1. राज्य शासन की विभिन्न विभागों द्वारा संचालित गतिविधियाँ एवं कार्यक्रमों हेतु गठित समितियों में प्रतिनिधित्व करने हेतु योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के स्वैच्छिक संगठन सेल में पंजीकृत किये गये संगठन भी सक्षम होंगे।

6.2 यदि कोई पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन स्थापित विधि एवं लोकहित के विपरीत कार्य करता है तो उन्हें राज्य शासन, स्वतंत्र एजेन्सियों द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर विनियमित किया जा सकेगा।

7. विकास कार्यों में साझेदारी :

7.1. शासकीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों का चुनाव करने के लिये ''सबको समान अवसर'' (Equality of Opportunity) सिद्धांत का पालन किया जायेगा।

7.2 स्वैच्छिक संगठनों से शासकीय कार्यक्रमों की योजना निर्माण, क्रियान्वयन करने, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन करने के लिये स्वैच्छिक संगठनों की सेवाएँ हॉसिल करने (Procurement of Services) के लिये नियम निर्धारित किये जायेंगे।

7.3 स्वैच्छिक संगठनों से सेवायें प्राप्त करने के लिये आवश्यक कौशल विकसित करने हेतु प्रदेश के अधिकारियों की क्षमतावृद्धि की जावेगी।

7.4 स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शासकीय निधि से किये जाने वाले कार्यों के मूल्यांकन एवं गुणवत्ता परीक्षण हेतु उपयुक्त एवं पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी। साथ ही वित्तीय संसाधनों के अपव्य एवं नियमों/विनियमों के उल्लंघन पर शास्ती हेतु मापदण्ड बनाये जायेंगे।

8. नये क्षेत्रों में विस्तार :

8.1. प्रदेश के ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों, जहां वर्तमान में संस्थायें उपलब्ध नहीं हैं, विशेषकर दूर–दराज एवं अनुसूचित जनजाती बाहुल्य क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर स्वैच्छिकता की भावना का विकास करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। शासकीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पर कार्यरत् संगठनों को प्राथमिकता प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी।

8.2. ऐसे क्षेत्रकों (Sectors) एवं कार्यक्रमों, जिनमें स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी से उत्कृष्ट परिणाम लाये जा सकते हैं, की लगातार पहचान करने के लिये प्रदेश स्तर पर आवश्यक व्यवस्था की जायेगी।

8.3 स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किये जा रहे असरकारी नवाचारों की पहचान कर प्रदेश व्यापी क्रियान्वयन हेतु व्यवस्था की जायेगी।

9. क्षमता विकास :

9.1 संगठनों के आंतरिक प्रबंधन को आधुनिक परिदृश्य के अनुरूप विकसित करने के लिये संगठनों में कार्यरत् कार्यकर्ताओं की कौशल वृद्धि हेतु मांग आधारित गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा संचालित कौशल केन्द्रों द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

9.2 भविष्य में स्वैच्छिक क्षेत्र में विशेषज्ञता आधारित रोजगार विस्तार की संभावना को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकसित करने के लिये विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में संचालित एम.एस.डब्ल्यु. (Master of Social Work) जैसे पाठ्यक्रमों को बेहतर किया जायेगा।

9.3 प्रदेश में जिला एवं राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वैच्छिक संगठनों को पुरूस्कृत करने की व्यवस्था की जायेगी।

9.4 स्वैच्छिक संगठनों के प्राण लोक सेवा में है। इन क्षेत्रों में प्रमाणिकता एवं शुचिता बनाये रखने के लिए आवश्यक नियम बनाये जायेंगे।

10. नीति का मूल्यांकन :

नीति के परिणामों का अनुश्रवण करने के लिये निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचकांक विकसित किये जायेंगे :–

1. संगठनों के पंजीकरण, कार्य संपादन के लिये चयन एवं संचार इत्यादि के लिये सरल, सक्रिय, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रक्रिया की स्थापना।

2. प्रदेश में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के स्थानीय कार्यालयो में वृद्धि।

3. गैर सरकारी स्त्रोतों से विकास कार्यों के संपादन में आर्थिक मदद में वृद्धि।

4. ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्तमान में संगठन कार्यरत् नहीं हैं वहां संगठनों का कार्य शुरू होना।

5. नये शासकीय विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी।

6. सेवाओं की प्राप्ति (Procurement of Services) की नियमावली लागू होना।

7. सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था।

स्वैच्छिक संगठनों की राज्य की नीति के परिणामों के सतत् अनुश्रवण के लिये वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किया जायेगा। नीति में साक्ष्य पर आधारित (Evidence Based) परिवर्तन करने के लिये समय–समय पर नीति के प्रभावों (Outcomes) का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जावेगा तथा नये परिदृश्य के अनुसार आवश्यक संशोधन किये जायेंगे।